

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण हेतु ₹ 57,74,50,958 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 57,74,50,958 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2810

मद क्रमांक 2 से 3

सोलर पम्प हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 4 से 5

कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण के लिए ₹ 2480.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।